न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 40/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 मंगलाराम पुत्र किस्तूरजी जाति पुरोहित निवासी सरथला तहसील भीनमाल जिला जालोर		1 रणछोडाराम उर्फ रणछोडा पुत्र मनरूपाराम निवासी सरथला तहसील भीनमाल जिला जालोर 2 तहसीलदार (भूमिधारी) भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री चेलाराम पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.6.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2015 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा सरथला के खसरा नम्बर 830 व 831 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 923/829 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आवसर ही प्रदान नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन का रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध था, इसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रूप से रिपोर्ट तैयार की। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु आबादी भूमि में से रास्ता जाता है, जो सी0सी0 सड़क है। इसको नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की विधिवत तामील हुए बिना ही अपीलाण्ट की एकतरफा कार्यवाही कर जैर अपील आदेश पारित किया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जातना आज्ञापक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण दोनों पर ही खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट से तामील हुए है, जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। अपीलाण्ट जिस भूमि में रास्ता होना बताते है, उसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। मात्र कयासी आधारों पर अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सरथला के खसरा नम्बर 830 व 831 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 923/829 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार भीनमाल से मौका निरीक्षण प्रतिवेदन तलब करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में समस्त अप्रार्थीगण को जो नोटिस जारी किये गये, वे नोटिस स्वयं अपीलाण्ट से तामील करवाए गए है, जो सम्यक तामील की श्रेणी में आने से तामील माने गए। प्रकरण में जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2015 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर